



सत्यमेव जयते

महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,  
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001



P19/II/DRSSA-84/UK/2018-19

25/09/2018

To

All District / Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Payment of pay/allowances and arrear amount of pay/allowance due from 01/01/2016 to 31/12/2016 to state employees of Uttarakhand Govt. in two stages (Financial year 2017-18 & 2018-19), consequent on implementation of the recommendations of Seventh Pay Commission and grant of Dearness allowance @5% w.e.f. 01/07/2017 and @7% w.e.f. 01/01/2018 to the pensioners receiving Revised pension w.e.f. 01/01/2016.

- Ref: 1.SSA No. P.A./Pension/2018-19/1004 dated. 03/07/2018 of the Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun.  
2.Leter No.202/XXVII(7)30(7)/2016 dated.17/10/2017 of the Secretary , Finance Section , Government of Uttarakhand.  
3.OM No.XXVII(7)30(7)/2016 dated.13/11/2017 of the Secretary , Finance Section, Government of Uttarakhand.  
4.OM No.XXVII(7)02/2016 dated.06/10/2017. of the Secretary , Finance Section, Government of Uttarakhand.  
5.OM No.147/XXVII(7)02/2016 dated. 09/05/2018 of the Secretary,Finance Section, Government of Uttarakhand.

I am to enclose herewith copy of SSA received from the Office of Accountant General (A&E), Uttarakhand which encloses above referred office memorandums from the Secretary, Finance Section, Government of Uttarakhand, regarding the payment of pay/allowance and arrear amount of pay/allowances due from 01/01/2016 to 31/12/2016 to state employees of Uttarakhand in two stages(Financial year 2017-18 & 2018-19), consequent on implementation of the recommendations of Seventh Pay Commission and grant of Dearness allowance @5% w.e.f. 01/07/2017 and @7% w.e.f. 01/01/2018 to the pensioners receiving revised pension w.e.f.01/01/2016. The same is being placed in the official website of this office ([www.agker.cag.gov.in](http://www.agker.cag.gov.in)) under the link "**Treasury endorsement of orders for other state pensioners**". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

  
25/9/18  
Accounts Officer

Copy to:-

- 1.The Director of Treasuries  
Thiruvananthapuram
- 2.Accounts Officer/Pension  
Accountant General (A&E)  
Uttarakhand

Accounts Officer



P-19/102552/84  
30/7/18

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोर्टर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)

फोन न०: 0135-2644967, फैक्स न०: 0135- 2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अंतर्गत"

P-19  
167645  
20/07/18

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2018-2019/ 1004

दिनांक- 03.07.2018

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंबई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बैंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

25/7/18



# कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

## "विशेष मुद्रा प्राधिकार"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2018-19/

दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान/महालेखाकार(लेखा एवं हक)

विषय- सातवें वेतन आयोग कि संस्तुतिया लागु होने पर राज्य कर्मचारियों को दिनांक:01/01/2016 से 31/12/2016 तक देय वेतन/भत्तों कि अवशेष एरियर राशि के भुगतान तथा देय वेतन भत्तों का भुगतान दो चरणों में (वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19) क्रिये जाने के सम्बन्ध में, तथा 01/01/2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त पेंशनरो को दिनांक:01/07/2017 से महंगाई राहत 5 प्रतिशत तथा 01/01/2018 से महंगाई राहत 7 प्रतिशत की स्वीकृति ।

- संदर्भ-1.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-202/XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक:17/10/2017
- 2.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक:13/11/2017
- 3.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-XXVII(7)02/2016 दिनांक:06 /10 /2017
- 4.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-147/XXVII(7)02/2016 दिनांक:09/05/2018

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । अतः आपसे अनुरोध है की उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें ।

संगलग्न-यथोपरि

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

